न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49/2009

1 शीशपाल पुत्र इमरताराम जाति जाट निवासी लिखवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नत्थूराम पुत्र श्योकरण।
2 मु. किताबो बेवा सुरताराम।
3 सुमेर पुत्र सुरताराम।
4 सुरेन्द्र पुत्र सुरताराम।
5 ईश्वर पुत्र सुरताराम।
6 जुगलाल पुत्र श्योकरण।
7 धर्मपाल पुत्र श्योकरण समस्त जाति जाट निवासीगण लिखवा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8 राजस्थान में ग्रामीण बैंक बनगोठड़ी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी नत्थूराम बनाम
शीशराम वगैरह मुकदमा नम्बर 157/2006 दावा बाबत
दिलाये जाने कब्जा, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन
तारिख निर्णय 28.01.2008 व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.04.2009

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हितेन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 157/2006 में पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 28.01.2008 व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.04.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के न्यायालय में एक वाद बाबत दिलाये जाने कब्जा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन बाबत पेश किया। उक्त वाद में दिनांक 28.01.2008 को निर्णय एवं दिनांक 27.04.2009 को अन्तिम डिक्री अदालत मातहत द्वारा पारित की गयी जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर की रिपोर्ट को विधि विरूद्व रूप से खारिज किया है। वादीगण रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 22/3 पर कब्जे की आड़ में अपीलांट को परेशान करना चाहते है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आदेश 14 नियम 5 का आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने इसे भी विधि विरूद्व रूप से खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन नही किया है। अपीलांट को उनके अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही दी गई। जानकारी से अन्दर मियाद दफा 5 के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 22/3 रकबा 0.36 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 की खातेदारी काश्त की भूमि है और यह भूमि उन्हे विभाजन में प्राप्त हुई है जो नामान्तकरण प्रदर्श 6 से साबित है प्रतिवादी नम्बर 1 का इस पर नाजायज कब्जा है इसलिये वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 भूमि खसरा नम्बर 22/3 से प्रतिवादी नम्बर 1 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 4.06 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि प्रदर्श 1 लगायत 6 से साबित है। इसलिये वादी अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर